फर्द अहकाम

नाथूराम बनाम ओमप्रकाश वगैरह

म न्यायालय

केस संख्या 67/2019 [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/11/19	वकील पक्षकारान हाजिर। वकील अप्रार्थी सं. 12 ता 16 ने जवाब प्रा. पत्र पेश किया। नकल वकील प्रार्थी को दिलवाई गयी। शामिल रहे। पत्रावली वास्ते बहस दि. 04/12/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी दूदू	
	04/12/19	वकील पक्षकारान हाजिर। बहस सुनना चाहा। वास्ते बहस दि. 11/12/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी दूदू	
	11/12/19	वकील पक्षकारान हाजिर। बहस करना जाहिर किया। उभयपक्ष पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 24/12/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी दूदू	
	24/12/19	वकील पक्षकारान हाजिर। आदेश सुनाया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी दूदू	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 67/2019
प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 01/07/2019
निर्णय दिनांक : 24/12/2019

कालूदास पुत्र नारायणदास, जाति साधु (वैष्णव), निवासी मोरडीकलां, पटवार हल्का जडावता, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र घासी स्वामी, जाति वैष्णव, निवासी मोरडीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. हरपाल पुत्र घासी स्वामी, जाति वैष्णव, निवासी मोरडीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
3. गोपाल पुत्र नारायण जाति वैष्णव, निवासी मोरडीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
4. रामप्यारी पत्नी नारायण, जाति वैष्णव, निवासी मोरडीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
5. कालू पुत्र नारायण जाति वैष्णव, निवासी मोरडीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
6. बरदू पुत्र नारायण जाति वैष्णव, निवासी मोरडीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
7. रामचन्द्र पुत्र श्योदान,
8. गोरधन पुत्र श्योदान
9. माधू पुत्र श्योदान
10. नन्दा पुत्र लादू
11. सुरजकरण पुत्र रंगलाल,

   जाति बावरिया, निवासी ग्राम पींगून, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

12. हनुमान सिंह
13. विजय सिंह
14. मंगल सिंह
15. रघुवीर सिंह
16. महावीर सिंह

   पुत्रान हरिसिंह, जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम पींगून, तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।

17. तहसीलदार तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी

(अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम–1956)

उपस्थिति – श्री ताज मौहम्मद रंगरेज
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 1 ल. 11 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।
श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 12 ल. 16
अप्रार्थी संख्या 17 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 24/12/19

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत करवाये जाने पत्थरगढी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि "जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के आराजी खाता संख्या 4 के आराजी खसरा नम्बर 249 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह व खसरा नम्बर 250 रकबा 2.5200 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 2.5300 हैक्टेयर वाके ग्राम मोरडीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0 में स्थित हैं, जिसका प्रार्थी एकमात्र् रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 प्रार्थी की आराजीयात के पडौसी काश्तकार हैं। प्रार्थी के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये दिन विवाद होते रहते हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 जो कि प्रार्थी की आराजी के पडौसी काश्तकार है, जो आये दिन मेर सींव को लेकर प्रार्थी से विवाद रखते हैं, मेर कोर को लेकर किसी प्रकार से विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। इसलिये उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद भी समाप्त हो सकें। तहसीलदार सा0, तहसील दूदू के आदेश कमांक भू.अ./2018/1632 दिनांक 03/06/2019 की पालना में दिनांक 11/06/2019 को प्रार्थी की आराजीयात का सीमाज्ञान भी किया जा चुका है, बावजूद इसके अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर रहे है एवं आये दिन मेर सींव को लेकर विवाद रखते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, इसलिये प्रार्थी अपनी आराजीयात के चारों तरफ पत्थरगढी करवाना चाहता है, इसलिये यह पत्थरगढी करवाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं। दिनाक 20/06/2019 को अप्रार्थीगण द्वारा अपनी सीमाओं से अधिक बढकर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

प्रार्थी की आराजी की सीमाओं में आकर बाहजोत करने का प्रयास करने व जबरन प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने एवं पुख्ता निर्माण करने का प्रयास करने के कारण प्रार्थी को अपनी आराजी की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से सादर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम मोरडीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर की सीमाओं पर पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार दूदू को प्रदान कर जरिये पुलिस ईमदाद पुलिस थाना दूदू से पालना करवाई जाने की कृपा करावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 20/08/2019 को अप्रार्थीगण संख्या 12 ल. 16 की आरे से श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

दिनांक 09/10/2019 को अप्रार्थी संख्या 1, 5, 6 व 8 बावजूद तामिल माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। दिनांक 18/11/2019 को अप्रार्थी संख्या 2 ल. 4, 7 व 9 ल. 11 बावजूद तामिल माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 17 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। दिनांक 25/11/2019 को अप्रार्थी संख्या 12 ल. 16 ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 12 ल. 16 की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 12 ल.16 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दीयात व फर्द सीमाज्ञान आदेश व अप्रार्थी संख्या 12 ल. 16 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 4 का प्रार्थी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं अन्य जमाबन्दीयात जो प्रस्तुत की है, उससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 पडौसी खातेदार होना साबित होते हैं। चूंकि प्रार्थी अपनी आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण व पडौसी खातेदार प्रार्थी की आराजीयात पर जबरन कब्जा काश्त करना चाहते है एवं पत्थरगढी नही करवाना चाहते है, इसलिये प्रार्थी ने अपनी आराजीयात

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है अप्रार्थी संख्या 1 ल. 11 बावजूद तामिल न माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये न ही अपनी ओर से कोई जवाब एवं आपत्ति पेश की इसलिये उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी हैं तथा अप्रार्थी संख्या 12 ल. 16 ने जवाब पेश किया हैं। चूंकि प्रार्थी अपनी आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ल. 16 जो कि विवादित आराजी के पडौसी खातेदार है, जो बावजूद तामिल न तो स्वंय उपस्थित हुये न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति ही पेश की गयी। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी की पत्थरगढी की कार्यवाही किया जाना उचित होगा। इस प्रकार अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता हैं, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि आराजी खाता संख्या 4 के आराजी खसरा नम्बर 249, 250 कुल किता 02 कुल रकबा 2.5300 हैक्टेयर वाके ग्राम मोरडीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर, का सीमाज्ञान कर सीमाओं पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें। उक्तानुसार तहसीलदार दूदू निर्णय की पालना करावें तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर (राज0)

Scanned by CamScanner